# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 126 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 272
निर्णय दिनांकः 31.10.2025
दायर दिनांकः 29.07.2025

1. श्रीराम सांई पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

**दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**–ःनिर्णयः–**

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही ग्राम बोथियावास में खाता संख्या 152 के खेत ख0नं0 214 तादादी 9.1296 है0 व खाता संख्या 9 के खेत ख0नं0 328 / 241 तादादी 6.5880 है0, एवं रोही रणधीसर के खाता संख्या 398 के खसरा संख्या 1052 / 149 तादादी 3.6421 है0, ख0नं0 1055 / 140 तादादी 0.8218 है है0 कुल किता दो कुल तादादी 4. 4639 है0वादी केखातेदारी में दर्ज स्थित है जिसमें वादी का नाम सहीराम पुत्र मांगीलाल दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम श्री राम सांई पुत्र मांगी लालहै। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्डआदि दस्तावेजों में वादी का नामश्री राम सांई पुत्र मांगी लाल ही अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी का खेत रोही ग्राम बोथियावास व ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दस्तोवजों वादी के दस्तावेजों में नाम श्री राम सांई पुत्र मांगीलाल ही दर्ज है। वादी श्री राम सांई व सहीराम दोनों एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मेंश्रीराम सांई पुत्र मांगीलालदुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड,पैनकार्ड, आदि में वादी का नाम श्री राम सांई पुत्र मांगी लालअंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

**—:आदेश:—**

दावावादीअंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरूस्त किया जावे।

| क्रं. स. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविश्टि (अशुद्ध प्रविश्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविश्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | बोथियावास | 152 | सहीराम | श्री राम सांई |
| 02 | बोथियावास | 9 | सहीराम | श्री राम सांई |
| 03 | रणधीसर | 398 | सहीराम | श्री राम सांई |

अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेशित हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलासमें सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

# डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
वइजलास **श्री ओमप्रकाशवर्मा, आर.ए.एस**

**दूड़सिंह बनाम राजस्थान सरकार**
दावा रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा न0 126 सन 2025
जीसीएमएस संख्या 2025/272

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ..................................................
..............................हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु व श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेशहोकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरूस्त किया जावे।

| क्रं. स. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविश्टि (अशुद्ध प्रविश्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविश्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | बोथियावास | 152 | सहीराम | श्री राम सांई |
| 02 | बोथियावास | 9 | सहीराम | श्री राम सांई |
| 03 | रणधीसर | 398 | स्हीराम | श्री राम सांई |

अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेशित हो।

चीज.................................................. मुबलिग ..................................................................................... बाबत ...............................
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व भारह ......................................................................................... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .........................................................................................................
.............. को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **31माह 10 सन 2025**

दस्तखत ..............................
ओहदा ..............................

मुहर

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्पवकालतनामा<br>स्टाम्पवजहसबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चागवाहान<br>फीसकमिश्नर<br>बाबतइजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान | | | स्टाम्पबकालतनामा<br>स्टाम्पअर्जी<br>महनतानावकीलपर<br>खर्चागवाहान<br>फीसकमिश्नर<br>बाबतइजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।